संख्या 394/आठ–1–08–63विविध/07 टी.सी.

प्रेषक,

**शंकर अग्रवाल**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

4. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 11 फरवरी, 2008

**विषय : दुर्बल आय वर्ग हेतु आय की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों की दिनांक 15.12.07 को सम्पन्न समीक्षा बैठक जिसमें दुर्बल आय वर्ग के भवन/भूखण्ड के आवंटन के लिए आवंटियों की आय–सीमा में एकरूपता लाने के संबंध में शासनादेश निर्गत करने का निर्णय लिया गया था, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में शासन स्तर सम्यक्, विचारोपरान्त दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों की आय–सीमा रू. 25,000 प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों का भवन/भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

**शंकर अग्रवाल**
विशेष सचिव

संख्या : 394(1)/आठ–1–08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/परिषद,, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासनादेश की प्रतियां समस्त संबंधित को उपलब्ध कराते हुए उक्त शासनादेश को आवास विभाग के इण्टरनेट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।

4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**आर.के.सिंह**
विशेष सचिव